# मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों/तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों एवं संभागीय मुख्यालयों के मंडी सचिवों के साथ दिनांक 24/02/2025 को आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

--oo--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों एवं संभागीय मुख्यालयों के मंडी सचिवों के साथ प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 24/02/2025 को प्रातः 10:30 बजे मुख्यालय स्थित सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारी, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त/उप संचालक, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री एवं संभागीय मुख्यालयों के मंडी सचिव वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निम्नानुसार चर्चा की गई:-

## (1) स एवं द वर्ग की कृषि उपज मंडी समितियों को ई-मंडी बनाने की कार्यवाही:-

01 अप्रैल 2025 से प्रदेश की संपूर्ण कृषि उपज मंडी समितियों में ई-मंडी की प्रक्रिया लागू की जाना है। प्रदेश की स एवं द वर्ग की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों में ई-मंडी योजना लागू करने की तैयारी के संबंध में समस्त संभागों की समीक्षा की गई।

भोपाल संभाग की आंचलिक अधिकारी द्वारा बताया गया कि स एवं द वर्ग की संभाग की समस्त मंडियों में ई मंडी योजना लागू किए जाने हेतु तैयारी की जा रही है। मंडियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तकनीकी संभाग भोपाल एवं नर्मदापुरम के कार्यपालन यंत्रियों द्वारा मंडियों का भ्रमण किया गया है एवं मंडियों में आवश्यक कार्यों के प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित किए गए हैं।

सागर संभाग के आंचलिक अधिकारी द्वारा बताया गया कि स वर्ग एवं द वर्ग की सभी मंडियों में ई-मंडी शुरू करने की तैयारी पूर्ण की जा चुकी है। मंडी कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो गया है। 06-07 मंडियों के व्यापारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। पीओएस

मशीन क्रय करने के आदेश दिए गए है। कृषि उपज मंडी समिति बामौरा में निर्माण कार्य होना आवश्यक है, जिसका प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित किया गया है।

उज्जैन संभाग के आंचलिक अधिकारी द्वारा बताया गया कि संभाग अंतर्गत स वर्ग की 08 एवं द वर्ग की 19 मंडी समितियां हैं, जिनमें ई मंडी योजना हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। सभी मंडियों में हार्डवेयर मशीनरी, कंप्यूटर एवं पीओएस मशीन की व्यस्था की जा चुकी है।

ग्वालियर संभाग के संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि मंडियों में आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ति समय-सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

मुरैना संभाग के तकनीकी अधिकारी द्वारा बताया गया कि स एवं द वर्ग की 17 मंडियों में ई-मंडी लागू किया जाना है। जिनमें से 12 मंडियों के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित किए गए है।

रीवा संभाग अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति शहडोल, बैकुंठपुर एवं अनूपपुर में पक्के निर्माण कार्य न होने की स्थिति में अस्थाई गेट बनाये जाने के निर्देश दिए।

इंदौर संभाग की आंचलिक अधिकारी द्वारा बताया गया कि स एवं द वर्ग की सभी मंडियों में ई-मंडी योजना लागू किए जाने तैयारी की जा चुकी है। 01 अप्रैल से सभी मंडियों में ई-मंडी योजना शुरू हो जावेगी।

01 अप्रैल 2025 से प्रदेश की समस्त स एवं द वर्ग कि मंडियों में ई-मंडी प्रक्रिया शुरू की जानी है। जिसके लिए उक्त संवर्ग की प्रत्येक मंडी की मेपिंग करने के निर्देश पूर्व की समय-सीमा की बैठकों में दिए गए थे। ई-मंडी योजना के लिए आधारभूत आवश्यकताओं में मंडियों में बाउण्ड्रीबॉल, प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार होना आवश्यक है। अतः प्रदेश के समस्त संभागों के तकनीकी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आधारभूत आवश्यकताओं के निर्माण कार्य जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, अविलंब पूर्ण करावें। समय-सीमा में कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में संभागीय कार्यपालन यंत्री ही व्यक्तिशः जिम्मेवार होंगे। साथ ही मुख्यालय स्तर के अधिकार क्षेत्र के कार्यों हेतु परीक्षण कर प्रस्ताव तत्काल मुख्यालय प्रेषित करें। अधीक्षण यंत्री, मुख्यालय को निर्देशित किया गया कि समस्त संभागों से प्राप्त प्रस्तावों का तत्काल परीक्षण करें एवं निविदा आदि की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य करावें।

समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स एवं द वर्ग की समस्त कृषि उपज मंडियों में भ्रमण कर आधारभूत आवश्यकताओं एवं कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण

करावे। ताकि 01 अप्रैल से प्रदेश की स एवं द वर्ग की मंडियों में ई-मंडी योजना सुचारू रूप से शुरू हो सके।

**(2) <u>लंबित आश्वासन एवं विधानसभा प्रश्न</u>:-**

समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कोई लंबित आश्वासन हो तो आज ही मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्यालय स्तर पर विधानसभा प्रश्नों की जानकारी आज ही पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

**(3) <u>प्रोपर्टी मैनेजमेंट पोर्टल</u>:-**

समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों की समस्त अचल संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर अविलंब समय-सीमा में दर्ज करावें।

**(4) <u>बायोमेट्रिक से उपस्थिति एवं वेतन भुगतान</u>:-**

प्रदेश के समस्त आंचलिक कार्यालयों एवं कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों तथा आउटसोर्स के सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन पर दर्ज हो एवं बायोमेट्रिक मशीन पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही वेतन भुगतान की कार्यवाही की जावे। समस्त OIC निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। कार्यालयों में लगी बायोमेट्रिक मशीन पर दर्ज उपस्थिति के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है या नहीं यह Randomly चेक किया जावेगा।

**(5) <u>मंडियों में मानव संसाधनों का सेटअप</u>:-**

प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों में मानव संसाधनों की आवश्यकता का प्रस्ताव संभागीय अधिकारी के अभिमत सहित प्रेषित करने के पूर्व में निर्देश दिए गए है। समस्त संभागीय अधिकारी मंडी सचिव से चर्चा उपरांत औचित्य सहित प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित करें। किस कार्य हेतु कितने मानव संसाधन आवश्यक है, उल्लेख कर प्रस्ताव अविलंब प्रेषित करें। मुख्यालय स्तर से सेटअप निर्धारित होने के उपरांत परिवर्तिन नहीं किया जावेगा। अत: शीघ्र प्रस्ताव प्रेषित करें।

**(6) <u>गेहूं की आवक</u>:-** रबी की फसलों में गेहूं की आवक प्रदेश की मंडियों में प्रारंभ होने जा रही है। प्रदेश के आंचलिक अधिकारियों द्वारा बताया गया कि इंदौर, भोपाल, सीहोर आदि कृषि उपज मंडियों में आवक शुरू हो गई है। समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित

किया गया कि कृषि उपज मंडी प्रांगण में विक्रय हेतु आने वाली उपजों हेतु लगातार नियमन व्यवस्था बनाई जाकर विक्रय कराया जाना सुनिश्चित करें।

समय-सीमा के प्रकरणों की प्रकरण वार समीक्षा की गई एवं पूर्ण कार्यवाही वाले प्रकरणों को समय-सीमा पत्रों की सूची से विलोपित किया गया एवं ऐसे प्रकरण जिनमें कार्यवाही पूर्ण हो गई है, ऐसे प्रकरणों को विलोपित करने हेतु नस्ती प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।

(धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समय-सीमा समीक्षा बैठक संपन्न हुई।)

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/समय-सीमा/फरवरी/2025/2159 भोपाल, दिनांकः 27/02/2025

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
2 अपर संचालक (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3 अधीक्षण यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
4 संयुक्त संचालक/उप संचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री, सहायक संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
5 संयुक्त संचालक/उप संचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय (समस्त)।
6 सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त), मध्यप्रदेश।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल